न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–315/2022 दायर दिनांकः 22.12.2022
GCMS NO:- 2022/545 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

प्रहलाद आ0 गोपाल जाति धाकड नि0 फतेहगंज तहसील नैनवॉ

– प्रार्थी

बनाम

महावीर पुत्र रूघनाथ जाति धाकड नि0 नाहरगंज तहसील नैनवॉ। (कुल 8)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल गुर्जर।

निर्णय दिनांक 30.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फतेहगंज मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 712/966 रकबा 0.2427 हैक्टयर, खसरा नम्बर 717 रकबा 1.4319 हैक्टयर स्थित है। प्रार्थी अपने स्वयं की खातेदारी हिस्सेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खंसरा नम्बर 712/966, खसरा नम्बर 717 जो कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित है जो कि ग्राम फतेगंज की माल मे स्थित है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर ग्राम फतेहगंज से उत्तर से दक्षिण चल कर जरखोदा से नाहरगंज जाने वाले आम रास्ते (ग्रेवल सडक) से खसरा नम्बर 707 मे होकर खसरा नम्बर 709 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 710 की पूर्वी मेड से होकर पूर्व से पश्चिम चलकर खसरा नम्बर 721 मे होकर खसरा नम्बर 711 मे होकर अपनी खातेदारी हिस्सेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा म्बर 712/966 व 717 पर पहुंचता है जो रास्ता करीब 15 फीट चौडा है। यह कि इसी रास्ते मे होकर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से आता जाता है व कृषि उपकरणों को लाता ले जाता है। इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल रंग से दर्शाया गया हैं। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत मे जाने का नही है।

यह कि प्रत्यार्थी संख्या 1 लगायत 6 प्रार्थी से रंजिश रखते है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 712/966, 717 पर आने जाने वाले रास्ते को बंद करने का प्रयास कर रहे है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 712/966 व 717 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ